जी वी के पावर (गोइंदवालसाहिब) लिमिटेड ,
पाएगा हाउस सरदार पटेल मार्ग ,सिकंदराबाद - 500003

सार्वजनिक सूचना

जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड (जीवीके) द्वारा माननीय पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) के समक्ष दायर की गई याचिका 69 / 2017 जो 540 (2X270) मेगा वाट जी वी के पावर (गोइंदवाल साहिब) थर्मल पावर परियोजना के लिए बहु वर्षीय टेरिफ (MYT)अवधारित करने हेतु पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेनरेशन, ट्रांसमिशन, व्हीलिंग और रिटेल सप्लाई टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2014 अंतर्गत टेरिफ कण्ट्रोल अवधि वित्तवर्ष 2017-18,2018-19 एवं 2019-20 ,विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 के अंतर्गत (क) पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नियम & निर्धारण की शर्तें उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2014 सहपठित (ख) याचिकाकर्ता (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड और पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे पूर्व में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में जाना जाता है) के मध्य संशोधित और पुनर्राज्यित विद्युत क्रय करार (Amended and Restated Power Purchase Agreement) दिनांकित 26.05.2009 I

1 सभी को सूचित किया जाता है कि जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड द्वारा माननीय आयोग के समक्ष नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20) के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु रिव्यु याचिका 69 / 17 दाखिल की गई है I

2 याचिका GVK कि वेबसइट www.gvk.com और आयोग की वेबसइट www.pserc.nic.in पर उपलब्ध है और डाउनलोड की जा सकती है I

3\. याचिका के सन्दर्भ में आपत्तियां / टिपण्णी /सुझाव सहायक सामग्री के साथ सचिव, पंजाब राज्य विद्युत् विनियामक आयोग ,एस सी ओ 220-221,सेक्टर 34 A, चंडीगढ़, के पास व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टरड डाक के माध्यम से 21 दिन के अंदर दाखिल / जमा किये जा सकते हैं I जीवीके द्वारा आपत्तियों पर टिपण्णी PSERC के समक्ष एक सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी I

4\. आयोग के समक्ष आपत्तियां/टिपण्णी /सुझाव की 10 प्रतियां तथा इस की सॉफ्ट प्रति(सॉफ्ट कॉपी) जमा की जाये I सभी प्रतियां आपत्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उसपर भेजने वाले का पूरा नाम और पता लिखा हो,यदि आपत्ति किसी संस्था अथवा अन्य श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा जमा की जा रही है तो इसे अंकित करें I

5\. आयोग द्वारा याचिका पर सुनवाई दिनांक 25.04.2018 को 11 बजे आयोग के कार्यालय में होगी,जन साधारण को भी इस दौरान सुना जायेगा .वे सभी आपत्तिकर्ता जिन्होंने अंतिम तिथि तक आयोग के समक्ष आपतियाँ दर्ज की है एवं अन्य व्यक्ति/संस्था जो उपरोक्त सन्दर्भ में अपना पक्ष / सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है I

- प्राधिकृत हस्ताक्षरी जी वी के (GVK)